छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ–4–7/2013/7–3 नया रायपुर, दिनांक 26/04/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़ ।

विषय : राजस्व वन भूमि की उपलब्धता की जानकारी बाबत् ।
संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16.01.2014 ।

––00––

राज्य में औद्योगिक, खनन, सिंचाई विद्युत परियोजनाओं के अलावा रेल तथा सड़क यातायात निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन के कई मामले वन संरक्षण अधिनियम –1980 के प्रावधानों के तहत अनुमति हेतु वन विभाग के समक्ष लंबित है । वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु भारत शासन के द्वारा बनाये गये गाईड लाईन के अनुसार वन भूमि का गैर वनीकरण कार्य हेतु व्यपवर्तन करने के लिए व्यपवर्तित की जा रही वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना आवश्यक है । गैर वन भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में दुगुने डिग्रेडेड वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना आवश्यक है । क्षतिपूरक वनीकरण के लिए राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़ के जंगल /बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को भी उपलब्ध कराया जा सकता है ।

2. इस तरह स्पष्ट है, कि यदि राज्य के विकास के लिए औद्योगिक, खनन, सिंचाई विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करना है, अथवा राज्य में रेल, सड़क मार्गों का निर्माण करना है, तो कुछ मात्रा में वन भूमि का व्यपवर्तन करना आवश्यक है और वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए राज्य के भीतर गैर वन भूमि को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग को हस्तांतरण करना भी आवश्यक है ।

3. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अलग–अलग परियोजनाओं के लिए क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग निरंतर प्राप्त होते रहती है, अतः शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है, कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग को देने योग्य भूमि का **"लेण्ड बैंक"** बनाकर रखा जावे तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिए मांग प्राप्त होने पर **" लेण्ड बैंक"** में उपलब्ध भूमि में से क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराया जावे/हस्तांतरित की जावे ।

4. "लेण्ड बैंक" के लिए भूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–7/2013/7–3, दिनांक 16.01.2014 के माध्यम से एक प्रपत्र निर्धारित कर सभी जिला कलेक्टरों से भूमि उपलब्धता की जानकारी चाही गई है, लेकिन यह पाया गया, कि केवल 2 जिलों से लगभग सही जानकारी आई है, बाकी जिलों से या तो गलत जानकारी आई है या जानकारी ही नहीं आयी है ।

5. अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है, कि **"लेण्ड बैंक"** के लिए भूमि की व्यवस्था राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़ के जंगल/बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि से की जानी है। उक्त मदों में राज्य के 27 जिलों में कितनी भूमि है, यह राज्य स्तर पर उपलब्ध है, लेकिन आप सहमत होंगे, कि उक्त मदों की किसी भी भूमि को

No. 133 Date 1/5/14 STATE UNIT, RAIPUR

वन विभाग को एकदम से हस्तांतरित करने की सहमति नहीं दी जा सकती है । राजस्व विभाग के छोटे झाड़ के जंगल/ बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर ग्रामवासियों को निस्तार की सुविधा प्राप्त हो सकती है, अतिक्रमण हो सकता है, वन अधिकार मान्यता पत्र, सामुदायिक अधिकार मान्यता पत्र वितरण किया गया हो सकता है, कई तरह के शासकीय भवन जैसे—स्कूल, अस्पताल, छात्रावास बने हो सकते हैं । ऐसी भूमियों को वन विभाग को हस्तांतरण करना संभव नहीं है, अतः ऐसी भूमियों को **"लेण्ड बैंक"** से छोड़ना होगा । इसके अलावा वन विभाग को वही भूमि दी जा सकती है, जो संरक्षित/आरक्षित वन से जुड़ा हुआ हो । अतः **"लेण्ड बैंक"** के लिए भूमि का चयन करते समय निस्तार, अतिक्रमण, वन अधिकार मान्यता पत्र आदि की भूमि को छोड़ना होगा तथा आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र से लगे ऐसी भूमि जो बड़े चक में हो, अर्थात 15 से 25 हेक्ट. के लगभग हो, ऐसी भूमि का चयन करना होगा । इस हेतु चयनित भूमि का खसरा नंबरवार जानकारी की भी आवश्यकता होगी, ताकि राज्य स्तर पर हस्तांतरण की सहमति बनने पर भूमि हस्तांतरण की अधिसूचना भी जारी की जा सके, तथा ऐसा करने के लिए पुनः जिलों से जानकारी बुलाने की आवश्यकता न पड़े ।

6. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है, कि संलग्न 2 प्रपत्रों में जानकारी तत्काल भेजने की व्यवस्था करें । प्रपत्र— "एक" इस विभाग के पत्र दिनांक 16.01.2014 के साथ भेजा गया पुराना प्रपत्र ही है । जिन जिलों से सही जानकारी भेजी गई है, वे उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं । प्रपत्र—"दो" एक नया प्रपत्र है । इसमें प्रपत्र—"एक" के कॉलम 13 में जो भूमि दर्शायी जावेगी, उसका ग्रामवार खसरा नंबरवार विवरण भी दिया जावे । यही भूमि **"लेण्ड बैंक"** के लिए उपलब्ध भूमि होगी ।

कृपया उक्त जानकारी तत्काल भेजने की व्यवस्था करें ।

संलग्नः प्रपत्र एक एवं दो ।

(के.आर. पिस्दा) 26/4/2014
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नया रायपुर, दिनांक /04/2014

पृ.क्रमांक एफ—4—7/2013/7—3

प्रतिलिपि—

1. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।

कृपया उक्त जानकारी भेजने हेतु अपने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने तथा जानकारी भिजवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संचालक NIC, मंत्रालय
की ओर विभाग की वेबसाइट www.cg.nic.in/revenue पर अपलोड हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

सचिव, 26/4/2014
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रपत्र–"एक"

राजस्व वन भूमि की जानकारी

क्र.	जिला	तहसील	छोटे झाड़ के जंगल रकबा	बड़े झाड़ के जंगल रकबा	योग 4+5	जारी वन अधिकार पट्टा का रकबा	सामुदायिक अधिकार पट्टा का रकबा	चरागाह या अन्य निस्तार हेतु सुरक्षित	अतिक्रमित रकबा	योग 7+8+9+10 रकबा	शेष 6–11	संरक्षित/आरक्षित वनों से लगा रकबा	25 हे. से अधिक चक की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
योग													

प्रपत्र–''दो''

लेण्ड बैंक के लिए राजस्व वन भूमि की जानकारी

क्र.	जिला	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प0ह0नंबर	रा0नि0 मण्डल	प्रपत्र एक के कॉलम (13) में दर्शाये अनुसार छोटे झाड़ के जंगल/बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि	
						ख0नबर	रकबा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.